

सज़रव-अपील, संख्या 11/2017
 दायर दिनांक 10.11.2017, निर्णय दिनांक 04.08.2018
 नाथूराम बनाम् गोविन्दराम, वगैरा।


शरहद रिक्सा बास की अपीलग्रथ भूमि के जैरअपील नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 288 अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी का हिस्सा 3/8 भाग व प्रत्यर्थी गोविन्दराम का हिस्सा 3/8 भाग व प्रत्यर्थीगण संख्या 02 ता 05 का हिस्सा 1/4 भाग के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्ट्रार के त्वाकर को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलर्गी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में शपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट, नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांकित 20.11.2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : सान्सव कोर्ट कैम्प-डाकीणुण में पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 20.11.2017 द्वारा ग्रामपंचायत डाकीपुरा को अपास्त किया जाने का निवेदन कर रहे है। मजमें आम में अपील के सम्वन्ध में जानकारी ली गयी। अप्रार्थीगण की ओर से कोई आपत्ति अथवा स्वीकारोक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में, शरहद मौजा रिक्सा बास में खेत खसरा नम्बर 255 रकबा 07.03 बीघा, खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 06.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 06.06 बीघा, खेत खसरा नम्बर 243 रकबा 06.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 244 रकबा 06.06 बीघा, खेत खसरा नम्बर 256 रकबा 07.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 298 रकबा 19.03 बीघा, कुल रकबा 47.06 बीघा का नामान्तरकरण के सम्वन्ध में, उक्त भूमियों के खातेदार के वारिशान् की जाँच कर, बाद जाँच, नियमानुसार विधिक वारिशान् के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना न्यायालय के मतानुसार उचित प्रतीत होता है।


अतः बाद विवेचन, अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर, जैरअपील नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 20.11.2007, अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार डीडवाना को निम्न निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना


राजस्व-अपील, संख्या 11/2017
दायर दिनांक 10.11.2017, निर्णय दिनांक 04.06.2018
नाथूराम बनाम् गोविन्दराम, वगैरा।

—:: आदेश ::—

हस्तगत अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार करते हुए, जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 20.11.2007 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि, जैर अपील जायगा के नामान्तरकरण बाबत इसके विधिक वारिशान् की जाँच कर, बाद जाँच, नियमानुसार नामान्तरकरण निर्णय पारित किया जावे।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-डाकीपुरा

निर्णय, आज दिनांक 04.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-डाकीपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

कमांक - 11-2017 / रीडर / 2018 / 558

दिनांक 04.05.2018


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: - निर्णय की पालना करने बाबत।

अपील,
विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 25.11.2007
द्वारा
ग्रामपंचायत डाकीपुरा
अन्वयित द्वारा

अपीलार्थी	प्रत्यर्थीगण
1. नाथूराम पुत्र दुलाराम, उम्र-80साल, जाति-जाट, निवासी-रिक्साबास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. गोविन्दराम पुत्र दुलाराम, 2. चुनकी पत्नी भोलूराम, 3. सन्तोष पुत्री भोलूराम, 4. मुन्नी पुत्री भोलूराम, 5. हरिराम दत्तकपुत्र भोलूराम, समस्त जाति -जाट, निवासी -रिक्साबास, तहसील-डीडवाना, जिला -नागौर, राजस्थान, 6. सरपंच ग्रामपंचायत डाकीपुरा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
कोर्ट डीडवाना